>

Title : Need to formulate a national policy for the protection of peacocks in the country.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से अतिमहत्वपूर्ण लोक-महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है, लेकिन समुचित संरक्षण नहीं होने के कारण मोरों की हत्या आए दिन हो रही है। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र में भी श्रीडूंगरगढ़ मुख्यालय पर वन विभाग की नर्सरी में मोर मृत पाए गए और मेरे पड़ोस में ही नागौर जिला है, जहां पर पर्वतसर में मोरों की हत्याएं हुई हैं। इसके बाद 20 फरवरी को भरतपुर जिले की कामा तहसील में मोर मृत पाए गए और ग्रामीणों ने मोरों को गोली मारे जाने पर रास्ता रोका, प्रशासन को कानून-व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 44 के अनुसार मोर पंख का व्यापार करने की छूट है और विदेशों में मोर पंखों की डिमाण्ड बहुत बढ़ गयी है। अतः एक्ट में संशोधन किया जाए । इसलिए असामाजिक तत्वों ने मोर को मारना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में मोर के अंगों और पंखों का निर्यात कर रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उससे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर कहीं विलुप्त न हो जाए। इसलिए मेरी मांग है, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जिस तरह से बाघों के संरक्षण के लिए कानून बनाया है, उसी तरह मोर के संरक्षण के लिए भी कानून बनाया जाए, नहीं तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वेदों में भी महत्व है, हमारे कवियों ने भी मोर के बारे में कहा है, अगर मोर ही नहीं रहेगा तो मोर का पंख कैसे रहेगा इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा में संशोधन किया जाए। भगवान कृष्ण की कलगी में भी मोर पंख लगा होता था। कवियों ने भी कहा है – पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना मंदिर दीप बिना। पक्षी का पंख अगर निकाल लेंगे तो वह जीवित न रहेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो विश्नोई समुदाय के लोग हैं, जो जीव-जन्तुओं की रक्षा करने से सम्बन्धित एनजीओज़ हैं, वे इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उन्हें भी संरक्षण दिया जाए, जिससे मोरों की रक्षा हो सके और वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखा जा सके।